

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/५५२३-३०

दिनांक :- 10.10.2017

केडर स्ट्रेन्थ आदेश संख्या२२/2014-15

वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना एफ.1 (11) एफडी/ रेवेन्यू/ 96 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 24.05.2013 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13.08.2013 में दिये गये निर्देशों तथा संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/ पेंशन) विभाग के पत्रांक प.10(23)वित्त/राजस्व/2013 जयपुर, दिनांक 24.09.2014 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की केडर स्ट्रेन्थ में पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग की सूची में नीचे वर्णित पदों को शामिल किया जाता है:-

क्र. स.	विभाग/कार्यालय का नाम	स.ले.अ.	लेखाकार	क.ले.
1-	निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर (लेखा शाखा हेतु)।	01	—	—
2-	निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर (पेंशन संशोधन कार्य हेतु)।	04	—	—
3-	संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जोधपुर (पेंशन संशोधन कार्य हेतु)।	01	—	—
4-	संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, उदयपुर (पेंशन संशोधन कार्य हेतु)।	01	—	—
5-	संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, कोटा (पेंशन संशोधन कार्य हेतु)।	01	—	—
6-	संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, बीकानेर (पेंशन संशोधन कार्य हेतु)।	02	—	—
7-	संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, अजमेर (पेंशन संशोधन कार्य हेतु)।	01	—	—
योग		11	-	-

नोट:- उपरोक्त पद अस्थाई रूप से दिनांक 28.02.2015 तक के लिए शामिल किये जाते हैं।

(भास्कर शर्मा)

निदेशक

दिनांक :- 10-10-2017

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/५५२३-३०

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/ पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
- 4- संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जोधपुर/ उदयपुर/ कोटा/ बीकानेर/ अजमेर।
- 5- उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
- 6- वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
- 7- पदस्थापन सहायक अलेसे-I विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जावें।

(क.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)